

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.मं.अ.का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

- 1 परियोजना का नाम :— कांकेर वन मण्डल नरहरपुर एवं सरोना परिक्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन कक्ष 158,207,211,153,127,128 एवं नारंगी वनखंड 479,478,480,472,427 में से रकबा 39.0869 हेक्टेयर में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम सड़क निर्माण हेतु।
- 2 आवेदक/आवेदक विभाग का नाम :— परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई धमतरी (छ.ग.)
- 3 गैर वानिकी कार्य हेतु जिस हेतु वन भूमि की मांग :— भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम सड़क निर्माण हेतु।
- 4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति :— आरक्षित वन कक्ष — 158,207,211,153,127,128 एवं नारंगी वनखंड — 479,478,480,472,427 में से रकबा 39.0869 हे.

5 वन भूमि का विस्तृत विवरण :—

(क) आरक्षित वन

:—

कक्ष क्रमांक	रकबा (हे.में)
211	4.9339
158	1.9254
207	1.5472
153	2.9270
127	9.2590
128	9.3693
Total:-	29.9618

(ख) सीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वन भूमि)

:—

कक्ष क्रमांक	रकबा (हे.में)
472	2.3629
478	0.4309
479	3.7082
480	0.5203
427	2.1028
Total:-	9.1251

(ग) असीमांकित संरक्षित वन

:—

(घ) राजस्व वन क्षेत्र

:—

- 6 आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति, प्रकार :- मिश्रित प्रजाति साईट क्वालिटी- III, IVA, IVB, घनत्व 0.5 से 0.6 है।
- 7 आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण :-
- | अ.क्र. | प्रजाति | कुल वृक्षों की संख्या |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 1 | बीजा | 575 |
| 2 | खम्हार | 25 |
| 3 | साजा | 978 |
| 4 | साल | 20 |
| 5 | हल्दु | 132 |
| 6 | शीशम | 89 |
| 7 | सागौन | 280 |
| 8 | अन्य | 13242 |
| | कुल योग :- | 15341 |
- 8 आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति :- पुनरुत्पादन की संभाव्यता के आधार पर पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है।
- 9 आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।) :- आवश्यक नहीं है।
- 10 क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, क्योस्फेयर रिजर्व प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें। :- हाँ, कांकेर वनमंडल के परिक्षेत्र सरोना के कक्ष क्रमांक ओ.ए. 427, आर.एफ. 153, 127, 128 के रकबा 23.700 हे. सीतानदी अभ्यारण के 10 कि.मी.परिधी में आता है।
- 11 आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।) :- आवश्यक नहीं है।
- 12 आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण देवें। :- आवेदित क्षेत्र में आवेदक विभाग द्वारा अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम् सड़क निर्माण हेतु परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई धमतरी छ.ग. द्वारा मांग की गई भूमि वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल — नहरपुर एवं सरोना परिक्षेत्र।

दिनांक — 16.12.2021


वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर